भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1726

जिसका उत्तर 01 अगस्त, 2024 को दिया जाना है।

.....

राजस्थान के लिए जल बंटवारा

1726. श्री कुलदीप इंदौरा:

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राजस्थान राज्य में सिचाई जल का बंटवारा भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड द्वारा निर्धारित किया जा रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड में राजस्थान सरकार का कोई प्रतिनिधित्व है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) राजस्थान के श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों से बहने वाली गंगा नहर में सिंचाई के लिए कितना क्यूसेक जल निर्धारित है और वर्तमान में आपूर्ति किए जा रहे जल की मात्रा क्या है;

(घ) क्या निर्धारित क्यूसेक कम किया जा रहा है और यदि हां, तो इसके कारणों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या उपरोक्त जिले के लिए कोई वैकल्पिक योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री (श्री राज भूषण चौधरी)

(क): सतलुज, व्यास और रावी के जल की साझेदारी, भागीदार राज्यों की सरकारों के बीच/उनके बीच निष्पादित करारों अर्थात् सतलुज जल के लिए भाखड़ा नांगल समझौता, 1959 और रावी-व्यास के अधिशेष प्रवाह के लिए रावी-व्यास समझौता, 1981 के अनुसार है।

(ख): पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 के अनुसार, भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (बीबीएमबी) में: केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किए जाने वाला एक पूर्णकालिक अध्यक्ष और दो पूर्णकालिक सदस्य; पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश राज्यों की सरकारों का एक-एक प्रतिनिधि, जो संबंधित सरकार द्वारा नामित किया जाता है और केन्द्र सरकार के दो प्रतिनिधि जो कि भारत सरकार द्वारा नामित किए जाएंगे, शामिल रहते है। सचिव, जल संसाधन विभाग, भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड में राजस्थान राज्य के प्रतिनिधि हैं।

(ग) और (घ): भाखड़ा व्यास प्रबंधन बोर्ड जिसमें राजस्थान सहित पक्षकार राज्यों के अधिकारी शामिल होते हैं, के द्वारा अनुमोदित आवश्यकताओं और तकनीकी समिति की मासिक बैठकों में लिए गए निर्णयों के अनुसार जलाशयों से जल छोड़ा जाता है। इसके बाद तकनीकी समिति की बैठक में लिए गए निर्णयों के अनुसार हरिके हैड वर्क्स से राजस्थान फीडर और बीकानेर नहर के माध्यम से राजस्थान को इसके जल की आपूर्ति की जाती है। इसके अतिरिक्त, राजस्थान राज्य के जल का आंतरिक वितरण राजस्थान जल संसाधन विभाग द्वारा किया जाता है।

(ङ): राजस्थान राज्य ने सूचित किया है कि इस समय उपरोक्त जिलों के लिए कोई वैकल्पिक योजना नहीं है।

****